रजिस्ट्री सं. डी. (डी. एन.)-72 REGISTERED No. D. (D.N.) 72

भारत का राजपत्र
The Gazette of India

असाधारण
EXTRAORDINARY

भाग II—खण्ड 3—उप-खण्ड (i)
PART II—Section 3—Sub-section (i)

प्राधिकार से प्रकाशित
PUBLISHED BY AUTHORITY

सं. 233) नई दिल्ली, बुधवार, मई 14, 1986/वैसाख 24, 1908
No. 233] NEW DELHI, WEDNESDAY, MAY 14, 1986/VAISAKHA 24, 1908

इस भाग में भिन्न पृष्ठ संख्या दी जाती है जिससे कि यह अलग संकलन के रूप में रखा जा सके
Separate Paging is given to this Part in order that it may be filed as separate compilation

वित्त मंत्रालय

(राजस्व विभाग)

नई दिल्ली, 14 मई, 1986

अधिसूचना

सं. 300/86—केन्द्रीय उत्पाद-शुल्क

सा. का. नि. 760 (अ):—केन्द्रीय सरकार, केन्द्रीय उत्पाद-शुल्क नियम 1944 के नियम 8 के उपनियम (1) द्वारा प्रदत्त शक्तियों का प्रयोग करते हुए, केन्द्रीय उत्पाद-शुल्क टैरिफ अधिनियम, 1985 (1986 का 5) की अनुसूची के उपशीर्ष सं. 0902.13 के अन्तर्गत

आने वाली चाय थैलियों को उक्त अनुसूची में विनिर्दिष्ट उस पर उद्ग्रहणीय समस्त उत्पाद-शुल्क से छूट देती है।

[सं. 300/86-के. उ. शु. (फा. सं. 10/12/86-के. उ. शु-I]

सी. माथुर, अवर सचिव

MINISTRY OF FINANCE

(Department of Revenue)

New Delhi, the 14th May, 1986

NOTIFICATION

No. 300|86-CENTRAL EXCISES

G.S.R. 760 (E).—In exercise of the powers conferred by sub-rule (1) of rule 8 of the Central Excise Rules, 1944, the Central Government hereby exempts tea bags falling onder sub-heading No. 0902.19 of the Schedule to the Central Excise Tariff Act, 1985 (5 of 1986), from the whole of the duty of excise leviable thereon which is specified in the said Schedule.

[No. 300|86-CE (F. No. 10|12|86-CX. I)]

C. MATHUR, Under Secy.

PRINTED BY THE MANAGER, GOVT. OF INDIA PRESS, RING ROAD, NEW DELHI-110064
AND PUBLISHED BY THE CONTROLLER OF PUBLICATIONS, DELHI-110054, 1986